भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 10

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

.....

योजनाओं का नाम बदलना

10. श्री नकुल के. नाथ:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 के बाद मंत्रालय द्वारा जिन योजनाओं का नाम बदला गया है उनका ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) वर्ष 2014 के बाद इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और "नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए)" को कार्यान्वित किया ताकि बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, ड्रेनेज विकास, समुद्र कटाव-रोधी इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करवाई जाए, जिसका बाद में विलय करते हुए "बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के घटक के रुप में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में भी जारी रखा गया। इसे बाद में सितम्बर 2022 तक और आगे बढ़ा दिया गया। वर्ष 2014 से आवंटित निधि/जारी की गई केन्द्रीय सहायता 3541.67 करोड़ रुपए है।

*****